जन संपर्क प्रकोष्ठ

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

जलदाय मंत्री की अध्यक्षता में हुई प्रस्तावित प्रारूप पर चर्चा

बहुमंजिला भवनों को पेयजल कनेक्शन की प्रस्तावित नीति को जल्द मिलेगा अंतिम रूप

जयपुर, 14 अक्टूबर। शहरों में बहुमंजिला भवनों को पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए प्रस्तावित नीति को जल्द ही अंतिम रूप देकर इसे सक्षम स्तर से अनुमोदित कराया जाएगा ताकि लम्बे समय से पेयजल कनेक्शन का इंतजार कर रहे बहुमंजिला भवनों के लोगों को राहत मिल सके। इस नई नीति की खासियत यह है कि यह पूरे प्रदेश के शहरों में स्थित बहुमंजिला भवनों के लिए बनेगी जबकि इससे पहले 2016 एवं 2020 में जारी किए गए परिपत्र सिर्फ जयपुर शहर की बहुमंजिला भवनों को पेयजल कनेक्शन देने को ध्यान में रखकर जारी किए गए थे। प्रस्तावित नई नीति में संस्थानिक परिसरों एवं औद्योगिक संस्थानों के बहुमंजिला भवनों को भी शामिल किया गया है।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉ. महेश जोशी की अध्यक्षता में शुक्रवार को यहां जल भवन में हुई बैठक में बहुमंजिला भवनों को पेयजल कनेक्शन के लिए बनाई जा रही नीति के प्रस्तावित ड्राफ्ट पर बिल्डर्स एवं रेजीडेंट वेलफेयर सोसायटी के पदाधिकारियों से विस्तृत चर्चा की गई। डॉ. जोशी ने कहा कि पेयजल उपलब्ध कराना आमजन की सेवा का कार्य है और राज्य सरकार अपने इस कर्तव्य का बखूबी निर्वहन कर रही है। उन्होंने कहा कि मंत्री होने के नाते उनका दायित्व है कि वे आमजन के हित में फैसले करें और इसी को ध्यान में रखते हुए बहुमंजिला भवनों में रहने वालों की समस्या के समाधान की दिशा में उन्होंने जरूरी कदम उठाए हैं।

प्रस्तावित नीति में बदलाव के लिए सुझाव लिए जाएंगे

अतिरिक्त मुख्य सचिव जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि प्रस्तावित नीति में कोई और बदलाव आवश्यक होंगे तो किए जाएंगे और इसमें सभी पक्षों से सुझाव लिए जाएंगे। राज्य सरकार का पूरा प्रयास रहेगा कि बहुमंजिला भवनों में रहने वालों को उचित दरों पर पेयजल उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने बताया कि निजी टाउनशिप में पेयजल कनेक्शन के लिए अलग से पॉलिसी ड्राफ्ट की जाएगी।

बैठक में तय किया गया कि निजी टाउनशिप के लिए नीति अलग से बनाई जाएगी। प्रस्तावित नीति सिर्फ बहुमंजिला भवनों के लिए लागू होगी। बहुमंजिला भवनों के भूतल पर बल्क कनेक्शन जारी किया जाएगा।

कमजोर वर्गों के लिए रखे गए विशेष प्रावधान

प्रस्तावित नीति में आवासीय बहुमंजिला भवनों के लिए 35 रूपए प्रति वर्ग फीट (बिल्टअप एरिया) तथा वाणिज्यिक बहुमंजिला भवनों के लिए 42 रूपए प्रति वर्ग फीट शुल्क प्रस्तावित किया गया है। मिश्रित उपयोग की बहुमंजिला इमारतों में आवासीय क्षेत्र में 35 तथा कॉमर्शियल एरिया में 42 रूपए प्रति वर्ग फीट दरें प्रस्तावित की गई हैं। संस्थागत बहुमंजिला भवनों एवं औद्योगिक भवनों को जलदाय विभाग द्वारा विकसित बुनियादी ढांचे की वास्तविक

लागत की हिस्सा राशि देनी होगी। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर एवं अल्प आय वर्ग को विशेष तौर पर लाभांवित करने हेतु मुख्यमंत्री जन आवास योजना एवं अफोर्डेबल हाउसिंग परियोजना के बहुमंजिला भवनों में ईडब्लूएस एवं एलआईजी फ्लैट्स में पेयजल कनेक्शन के लिए विशेष प्रावधान प्रस्तावित किए गए हैं। ईडब्लूएस एवं एलआईजी फ्लैट्स में पेयजल कनेक्शन के लिए एकमुश्त शुल्क राशि का पूरा भुगतान विकासकर्ता द्वारा देय होगा।

प्रस्तावित नीति में एक अप्रेल 2021 से पहले हस्तांतरित मल्टीस्टोरी बिल्डिंग को एकमुश्त पैसा जमा कराने की अनिवार्यता में छूट देते हुए एकमुश्त शुल्क का 50 प्रतिशत कनेक्शन से पहले एवं शेष 24 समान किश्तों (मय साधारण ब्याज) में जल शुल्क के साथ जमा कराने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अन्य बहुमंजिला भवनों के लिए एकमुश्त शुल्क का पूरा भुगतान कनेक्शन से पहले करना जरूरी होगा। वर्षा जल संचयन को प्रोत्साहित करने के लिए 300 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के भूखंड पर निर्मित भवनों में रूफ टॉप वर्षा जल संचयन प्रणाली की अनिवार्यता का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा वाटर रिसाइकलिंग को बढावा देने के उद्देश्य से 5000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के भूखंड पर निर्मित बहुमंजिला भवनों के लिए अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण एवं पुनः उपयोग प्रणाली अनिवार्य होगी। 5000 वर्ग मीटर एवं इससे कम के क्षेत्रफल के भूखंड पर निर्मित बहुमंजिला भवनों में अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण एवं पुनः उपयोग प्रणाली होने तथा न्यूनतम 20 प्रतिशत जल मांग की आपूर्ति पुनः उपयोग प्रणाली से किए जाने की स्थिति में एकमुश्त शुल्क में 25 प्रतिशत तक की छूट प्रस्तावित की गई है।

उल्लेखनीय है कि बहुमंजिला भवनों एवं निजी टाउनशिप में रह रहे लोगों को पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में जारी परिपत्रों में आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण लम्बे समय से इन भवनों में रहने वाले लोगों को पेयजल कनेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं। जलदाय मंत्री डॉ. महेश जोशी ने विभाग को बहुमंजिला भवनों को पेयजल कनेक्शन के लिए पॉलिसी तैयार करने के सम्बन्ध में निर्देश दिए थे। जलदाय मंत्री के निर्देशों के बाद इस सम्बन्ध में मुख्य अभियंता (शहरी) की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी जिसमें विकासकर्ता एवं रेजीडेंट वेलफेयर सोसायटी प्रतिनिधि भी शामिल थे।

बैठक में आए क्रेडाई, टोडार, राजरेडको एवं अन्य बिल्डर्स एसोसिएशनों के पदाधिकारियों तथा रेजीडेंट वेलफेयर सोसायटी के प्रतिनिधियों ने जलदाय मंत्री डॉ. महेश जोशी को बहुमंजिला इमारतों में रहने वालों की पीड़ा समझते हुए इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाने के लिए उनका साधुवाद दिया।

बैठक में संयुक्त सचिव श्री रामप्रकाश, मुख्य अभियंता (शहरी) श्री के डी गुप्ता, सहित अन्य मुख्य अभियंता एवं अधिकारी शामिल हुए। प्रस्तावित नीति के विभिन्न प्रावधानों पर अतिरिक्त मुख्य अभियंता (शहरी) श्री अमिताभ शर्मा ने प्रस्तुतिकरण दिया।

———————